

**अनुदान संख्या 101 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**  
**GRANT No. 101 - MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT**

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	25943,67,00	25943,74,00	25509,97,59	-433,76,41
पूरक	Supplementary	7,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				429,05,27

<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	5,08,00	11,08,00	8,47,67	-2,60,33
पूरक	Supplementary	6,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,60,33

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचतें/अधिक व्यय हुईं/हुआः—

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2235”	Major Head “2235”				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	148173.00	101754.15	101283.04	-471.11
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-46420.85			

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	251900.00		
पू.	S.	2.00	..	..
पु.	R.	-251902.00		
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	2093872.00		
पू.	S.	2.00	2364270.39	2364270.40
पु.	R.	270396.39		+0.01
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"			
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants -in-aid to Union Territory Governments with Legislature			
मू.	O.	92490.00		
पू.	S.	1.00	78014.86	78014.84
पु.	R.	-14476.14		-0.02

(I) ₹252462.00 लाख का प्रावधान (दिसम्बर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) आठ शीर्षों के तहत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹252161.59 निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹252462.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024) remained wholly unutilised under eight heads; of these ₹252161.59 accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2235” – “सामाजिक कल्याण – अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – यू. एन. आई. सी. ई. एफ. में अंशदान” – ₹560.00 लाख की बचत (यू. एन. आई. सी. ई. एफ. को निधियां जारी किए जाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष “2552” –

(क) “सामाजिक कल्याण – बाल कल्याण” –

(i) “स्वायत्त शासी निकायों को सहायता” – ₹520.00 लाख,

(ii) “मिशन वात्सल्य” – ₹13880.00 लाख;

(iii) “सक्षम आंगनवाडी और पोषण-II (आंगनवाडी सेवायें – पोषण अभियान – किशोर बालिकाओं के लिए योजना)” – ₹149512.25 लाख;

(ख) “सामाजिक कल्याण – महिला कल्याण – मिशन शक्ति” – ₹26528.09 लाख;

(ग) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – सामाजिक कल्याण – बाल कल्याण” – ₹28400.00 लाख; और

(घ) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना – सामाजिक कल्याण – बाल कल्याण” – ₹32761.25 लाख।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(II) मुख्य शीर्ष “2235” – “सामाजिक कल्याण” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “बाल कल्याण” –

(A) Major Head “2235” - “Social Welfare - International Co-operation - Contribution to UNICEF” - ₹560.00 lakhs - due to non-finalisation of proposals for release of funds to UNICEF.

(B) Major Head “2552” -

(a) “Social Welfare - Child Welfare” -

(i) “Support to Autonomous Bodies” - ₹520.00 lakhs;

(ii) “Mission Vatsalya” - ₹13880.00 lakhs;

(iii) “Saksham Anganwadi and POSHAN-II (Anganwadi Services - Poshan Abhiyan - Scheme for Adolescent Girls)” - ₹149512.25 lakhs;

(b) “Social Welfare-Women’s Welfare - Mission Shakti” - ₹26528.09 lakhs;

(c) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Social Welfare - Child Welfare” - ₹28400.00 lakhs; and

(d) “Tribal Area Sub-Plan - Social Welfare - Child Welfare” - ₹32761.25 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “2235” - “Social Welfare” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Child Welfare” -

- (क) “मिशन वात्सल्य” – ₹7300.36 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.34 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹13819.34 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधानमंडल विहीन संघ राज्य क्षेत्रों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
- (ख) “सक्षम आंगनवाडी और पोषण II (आंगनवाडी सेवायें – पोषण अभियान – किशोर बालिकाओं के लिए योजना)” – ₹35242.73 लाख की बचत (₹49000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में विज्ञापन कार्यक्रम शुरू करने, विधान मंडल विहीन संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।
- (खा) “महिलाओं का कल्याण – मिशन शक्ति” – ₹6351.14 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.44 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹18418.44 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधान मंडल विहीन संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।
- (III) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित योजना” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-
- (क) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा – मिशन शक्ति” – ₹99915.23 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹215290.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण पत्र/एस. ओ. ई. एस प्राप्त नहीं हो पाने, राज्यों द्वारा समय पर एस. एन. ए. दिशानिर्देशों का पालन नहीं किए जाने, ओ. एस. सी. के गठन के लिए कार्यकलापों के पूरा नहीं हो पाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।
- (a) “Mission Vatsalya” - saving of ₹7300.36 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹13819.34 lakhs including token supplementary grant of ₹0.34 lakh obtained in December, 2023) was due to non-receipt of viable proposals from UTs without legislature.
- (b) “Saksham Anganwadi and POSHAN II (Anganwadi Services - Poshan Abhiyan - Scheme for Adolescent Girls)” - saving of ₹35242.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹49000.00 lakhs) was due to less advertisement programme launched, less receipt of proposals from UTs without legislature and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.
- (B) “Women’s Welfare - Mission Shakti” - saving of ₹6351.14 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹18418.44 lakhs including token supplementary grant of ₹0.44 lakh obtained in December, 2023) was due to receipt of less proposals from UTs without legislature and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.
- (III) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Scheme” - savings occurred under the following heads:-
- (A) “Central Assistance/Share - Mission Shakti” - saving of ₹99915.23 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹215290.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) was due to non-receipt of UCs/SOEs, non-compliance SNA guidelines timely by States, non-completion of activities for setting up of OSCs and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – मिशन शक्ति” – ₹15238.91 लाख की बचत (₹25442.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – मिशन शक्ति” – ₹4068.58 लाख की बचत (₹12734.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों द्वारा कम मात्रा में निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “3602” – “केंद्रीय प्रायोजित योजना – केंद्रीय सहायता/हिस्सा” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:

(का) “सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण II (आंगनवाड़ी सेवायें – पोषण अभियान – किशोर बालिकाओं के लिए योजना” – ₹8307.34 लाख की बचत (₹67901.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) “मिशन वात्सल्य” – ₹2208.87 लाख की बचत (₹7529.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष की अप्रयुक्त राशि उपलब्ध होने, गैर सांस्थानिक केयर के लिए अलग एस. एल. एस. नहीं खोले जाने, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी से एस. ओ. ई. प्राप्त नहीं होने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) “मिशन शक्ति” – ₹3259.46 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹10512.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो पाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Mission Shakti” - saving of ₹15238.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25442.00 lakhs) was due to non-receipts of proposal from States/UTs and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Mission Shakti” - saving of ₹4068.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12734.00 lakhs) was due to requirement of less funds by States and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Scheme - Central Assistance/Share” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Saksham Anganwadi and POSHAN II (Anganwadi Services - Poshan Abhiyan - Scheme for Adolescent Girls)” - saving of ₹8307.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹67901.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from States/UTs and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) “Mission Vatsalya” - saving of ₹2208.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7529.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous years, non opening of separate SLS for Non-Institutional Care non-receipt of SoE from J&K and Puducherry and receipt of less proposals from States/UTs.

(C) “Mission Shakti” - saving of ₹3259.46 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹10512.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) was due to non-receipts of proposals from States/UTs and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹264473.83 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसम्बर, 2023 और फरवरी, 2024 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:—

(का) मुख्य शीर्ष “2235” – “सामाजिक कल्याण – बाल कल्याण” –

(क) “राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (एन. आई. पी. सी. पी.)” – ₹699.92 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹483.51 लाख हुआ।

(ख) “स्वायत्त शासी निकायों को सहायता” – ₹2399.16 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2187.48 लाख हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित योजना – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – सक्षम आंगनवाडी और पोषण II (आंगनवाडी सेवायें – पोषण अभियान – किशोर बालिकाओं के लिए योजना)” – ₹261374.75 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹261374.76 लाख हुआ।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित योजना” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:—

(का) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा – मिशन वात्सल्य” – ₹15242.56 लाख का अधिक व्यय (₹111989.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – सक्षम आंगनवाडी और पोषण II (आंगनवाडी सेवायें – पोषण अभियान – किशोर बालिकाओं के लिए योजना)” – ₹35300.29 लाख का अधिक व्यय (₹444848.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

2.(I) The above savings were partly (₹264473.83 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹4.00 lakhs in December, 2023 and February, 2024 under the following major heads:-

(A) Major Head “2235” - “Social Welfare - Child Welfare” -

(a) “National Institute of Public Cooperation & Child Development (NIPCCP)” - ₹699.92 lakhs. Actual excess, however, was ₹483.51 lakhs.

(b) “Support to Autonomous Bodies” - ₹2399.16 lakhs. Actual excess, however, was ₹2187.48 lakhs.

(B) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Saksham Anganwadi and POSHAN II (Anganwadi Services - Poshan Abhiyan - Scheme for Adolescent Girls)” - ₹261374.75 lakhs. Actual excess, however, was ₹261374.76 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Scheme” - under the following heads:-

(A) “Central Assistance/Share - Mission Vatsalya” - excess of ₹15242.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹111989.00 lakhs);

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Saksham Anganwadi and POSHAN II (Anganwadi Services - Poshan Abhiyan - Scheme for Adolescent Girls)” - excess of ₹35300.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹444848.00 lakhs); and

(गा) “जनजातीय क्षेत्र योजना – सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण II (आंगनवाड़ी सेवायें – पोषण अभियान – किशोर बालिकाओं के लिए योजना” – ₹77701.51 लाख का अधिक व्यय (फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹169502.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में हुआ।

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Saksham Anganwadi and POSHAN II (Anganwadi Services - Poshan Abhiyan - Scheme for Adolescent Girls)” - excess of ₹77701.51 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹169502.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2024).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/ योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष “2552” से निधियों का कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमलापों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards various activities by States/UTs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में समग्र बचतें (₹260.33 लाख) दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹600.00 लाख के पूरक अनुदान का 43 प्रतिशत था और कुल स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत था।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹260.33 lakhs) constituted 43 percent of the supplementary grant of ₹600.00 lakhs obtained in December, 2023 and 23 percent of the total sanctioned provision.

बचत निम्न अनुसार हुई:-

Saving occurred as under:-

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹200.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹200.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.